राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर (जिला-अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 54/2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. श्री भोजा सिंह पुत्र श्री भोम सिंह आयु 70 वर्ष
2. श्री गोपा उर्फ गोपाल पुत्र श्री भोमा जी आयु 55 वर्ष
3. श्रीमती भंवरी पत्नि स्व. श्री पूना जी आयु 65 वर्ष
4. श्री नारायण पुत्र स्व. श्री पूना जी आयु 45 वर्ष
5. श्री भगु सिंह पुत्र स्व. श्री पूना जी आयु 42 वर्ष
6. श्री नैना सिंह पुत्र स्व. श्री पूना जी आयु 40 वर्ष
7. श्री गिरधारी सिंह पुत्र स्व. श्री पूना जी आयु 38 वर्ष
8. श्री बबलू सिंह पुत्र स्व. श्री पूना जी आयु 36 वर्ष
9. श्री कैली बाई पुत्र स्व. श्री पूना जी आयु 28 वर्ष

समस्त जाति रावत निवासियान ग्राम कालिंजर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर

........................वादीगण

बनाम

1. श्री अनोप सिंह उर्फ पप्पू पुत्र स्व. श्री पन्ना आयु 50 वर्ष
2. श्रीमती सायरी पत्नि श्री पन्ना आयु 68 वर्ष

जाति रावत निवासियान ग्राम कालिंजर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

3. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय ब्यावर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील ब्यावर

................प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक : 17.05.2018

वादीगण ने सारांशतः कथन किए हैं कि वादीगण की खरीदशुदा आराजी कृषि भूमि ग्राम कालिंजर पटवार हल्का कालिंजर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राजियावास तहसील ब्यावर में स्थित चली आ रही है जो वाद पत्र के पद संख्या 1 (क) में साबिक खसरा संख्या 2165 जिसके हाल खसरा संख्या 2287 रकबा 17-05-10, साबिक खसरा संख्या 2171 जिसके हाल खसरा संख्या 2794 रकबा 13-19-00, साबिक खसरा संख्या 2187 जिसके हाल खसरा संख्या 2810 रकबा 08-15-00, साबिक खसरा संख्या 2145 जिसके हाल खसरा 2767 रकबा 00-18-00, साबिक खसरा संख्या 2153 जिसके हाल खसरा संख्या 00-18-10 तथा पद संख्या 1 (ख) में साबिक खसरा संख्या 799 जिसके हाल खसरा संख्या 00-11-10, साबिक खसरा संख्या 801 जिसके हाल खसरा 00-04-00, साबिक खसरा संख्या 675 जिसके हाल खसरा संख्या 857 रकबा 00-07-00, साबिक खसरा संख्या 674 जिसके हाल खसरा संख्या 857 रकबा 00-01-10 तथा पद संख्या 1 (ग) में खसरा संख्या 958 रकबा 00-06-10 तथा पद संख्या 1 (घ) में साबिक खसरा संख्या 768 जिसके हाल खसरा संख्या 1034 रकबा 00-05-00, 1039 रकबा 00-05-10, 1042 रकबा 00-05-00, 1045 रकबा 00-06-00, 1046 रकबा 00-08-00 स्थित है। प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा वादपत्र के पद संख्या 2 में अंकित है। सजरा अनुसार श्री कालू सिंह पूर्व में श्रीमती सायरी से विवाहित था लेकिन श्री कालूसिंह के श्रीमती सायरी से किसी प्रकार की कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई और कालू सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। तत्पश्चात् श्रीमती सायरी ने रिश्ते में अपने देवर से नाता विवाह कर लिया एवं उक्त नाता विवाह के पश्चात् श्रीमती सायरी से व श्री पन्ना सिंह के वैवाहिक जीवन से एक सन्तान पप्पू उर्फ अनोपसिंह उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वादपत्र में बतौर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दर्शाये गये हैं। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी कृषि भूमि भाग (ख) को वादीगण

................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

की माता/सासु/दादी श्रीमती धापू ने दिनांक 13.02.1974 को श्री कालूसिंह पुत्र श्री रूपा उर्फ रूपसिंह ने बएवज प्रतिफल राशि में खरीद की थी। उक्त बेचाननामा का पंजीयन भी उपपंजीयक कार्यालय ब्यावर के समक्ष पंजीयन करवाया गया है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी कृषि भूमि भाग (ग) में से 1/4 हिस्सा को वादीगण की माता/सासु/दादी श्रीमती धापू ने दिनांक 13.02.1974 को श्री कालूसिंह पुत्र श्री रूपा उर्फ रूपसिंह से बएवज प्रतिफल राशि में खरीद की थी। उक्त बेचाननामा का पंजीयन भी उपपंजीयक कार्यालय ब्यावर के समक्ष पंजीयन करवाया गया है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी कृषि भूमि भाग (घ) को वादी संख्या 1 व 2 ने व वादी संख्या 3 लगायत 9 के पति/पिता श्री पूना ने दिनांक 23.03.1967 को श्री रूपा उर्फ रूपसिंह पुत्र श्री नीम्बा से बएवज प्रतिफल राशि में खरीद की थी। उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों को वादीगण व उनके पूर्वज के द्वारा खरीद किये जाने की दिनांक से आज दिनांक तक वादीगण बिना रोक टोक के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण एक ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व्यक्ति है, जिन्हें कि कानून की जानकारी नहीं है एवं उपरोक्त खरीदशुदा आराजी कृषि भूमियों का बेचाननामा विधिवत निष्पादित करवा पंजीयन वादी संख्या 1 व 2 ने व वादी संख्या 3 लगायत 9 के पूर्वज श्री पूना जी के हक में किया गया है लेकिन उपरोक्त खरीदशुदा आराजी कृषि भूमियों का नामान्तरकरण वादीगण अपने नाम नहीं करवा सके, जिसका कि बेचा फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात को अन्रूत्र बेचान कर कब्जा भी अन्य व्यक्ति को सम्भलाने पर आमादा है जबकि उपरोक्त भूमियों पर वादीगण ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 धमकी देते हैं कि उपरोक्त आराजियात को खुर्दबुर्द कर देंगे इस कारण वाद पेश करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमायी जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी कृषि भूमियों की खातेदारी वादीगण के नाम वादपत्र में वर्णित बेचाननामों की रूह में अंकन करने का आदेश पारित फरमावें एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त करवा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खसरान् को वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने के आदेश पारित फरमाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 4 को भी पाबंद फरमाया जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियेां की राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम बेचाननामें दिनांक 10.11.1971, दिनांक 13.02.1974, दिनांक 23.03.1967 की रूह में दुरूस्त कर वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदारी के दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अंकन दरामद करवाने का आदेश पारित फरमावें तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ने मज़में आम में रूबरू मोतबिरान कथन किए कि वे जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बयान प्रस्तुत करना चाहते हैं।

बयान कलबद्ध किये गये। मज़में आम में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने कथन किए कि वादग्रस्त आराजियात बाबत् यदि कोई बेचाननामा

..................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

वादीगण के पास है तो उक्तानुसार निर्णय पारित किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है एवं बेचाननामें से अधिक भूमियों का किसी प्रकार से कोई नामान्तरकरण वादीगण के पक्ष में नहीं किया जावे। वादीगण ने उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के कथनों से सहमत होते हुए वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् ग्राम कालिंजर पटवार हल्का कालिंजर का मिलान क्षेत्रफल है। पंजीकृत **बेचाननामा दिनांक 13.02.1974** की छाया प्रति है जिसमें कालूसिंह पुत्र रूपा जी ने आराजी खसरा संख्या 1090 रकबा 00–11–10, 1091 रकबा 00–04–00, 857 रकबा 00–08–10 का बेचान तथा खसरा संख्या 958 रकबा 00–06–10 चाह का चौथा का 3/4 हिस्से का श्रीमती धापू बेवा भोमा रावत को बेचान किया जाना अंकित है। इसी प्रकार **पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 23–03–1967** जिसमें रूपा वल्द नीम्बा रावत व पन्ना वल्द रूपा ने आराजी खसरा संख्या 768 रकबा 01–09–10 में से चौथा हिस्सा का पूना व भोजा व गोपा पिसराम भोगा को बेचान किया जाना अंकित है। इसी प्रकार **पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 10–11–1971** जिसमें पन्ना वल्द रूपा ने आराजी खसरा संख्या 2165 रकबा 17–05–10, 2171 रकबा 13–19–00, 2187 रकबा 08–16–00 का चौथा हिस्सा तथा खसरा संख्या 2145 रकबा 00–18–00, 2153 रकबा 00–18–10 का आठवां हिस्सा बेचान किया जाना अंकित है जो भोजा व पूना व गोपा पिसरान भोमा को बेचान किया जाना अंकित है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार वादग्रस्त सांबिक खसरा संख्या के हाल खसरा नम्बर बनना पाया जाता है। ग्राम कालिंजर की जमाबन्दी संवत् 2024–27 के खाता संख्या 261 में अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त आराजियात साबिक खसरा संख्या 674, 675, 768, 799, 801, 2145 में रूपा व धन्ना व भोजा व हजारी व बिरदा पिसरान नीम्बा बहिस्सेबराबर 1 हिस्सा तेजा वल्द हीरा 1 हिस्सा कौम रावत साकिन देह दर्ज है। ग्राम कालिंजर की जमाबन्दी के खाता संख्या नया 198 पुराना 205 में अन्य खसरान् के साथ हाल खसरा संख्या 857, 1034, 1039, 1042, 1045, 1090, 1091, 2767 में पुन्ना कालू पिता रूपा धन्ना हजारी पि. नीबा घीसा गोपाल पि. बिरदा भोजा पूना गोमा पि. भोमा 1 हि. धन्ना देवा पूना पि. तेजा 1 हि. कौम रावत सा. देह दर्ज है। ग्राम कलिंजर की जमाबन्दी संवत् 2041–44 के खाता संख्या 180 में अन्य खसरान् के साथ विवादग्रस्त हाल खसरा संख्या 857, 1034/1, 1039/1, 1042, 1045, 1090, 1091, 2767, 2775 पन्ना कालू पिता रूपा धन्ना हजारी पि. नीबा घीसा गोपाल पि. बिरदा भोजा पूना गोमा पि. भोमा 1 हि. धन्ना देवा पूना पि. तेजा 1 हि. कौम रावत सा. देह दर्ज है जो आगामी रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2046–49 के खाता संख्या 193, 2050–53 के खाता संख्या 200, 2054–57 के खाता संख्या 256 में भी यथावत दर्ज चला आता है एवं जमाबन्दी संवत् 2054–57 में नामान्तरकरण संख्या 655 दिनांक 21.06.2000 जरिये विरासत पन्ना पि. रूपा के वारिसान तथा नामान्तरकरण संख्या 656 दिनांक 21.06.2000 जरिये विरासत धन्ना पि. तेजा के वारिसान के नाम का अंकन करने की होने की स्वीकृति होना दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2058–61 के खाता संख्या 255 में अन्य खसरान् के साथ अंकित वादग्रस्त हाल खसरा संख्या 857, 1034/1, 1039/1, 1042, 1045, 1090, 1091, 2767, 2775 में पप्पू वल्द पना सिंह कालू पि. रूपा धन्ना हजारी पि. निम्बा घीसा गोपाल पि. बिरदा भोजा पूना गोमा पि. भोमा 1 हि. प्रभुसिंह उदयसिंह बाबूसिंह पि. धना व कंवरी पुत्री धना व देवा पूना पिता

..................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

तेजा 1 हिस्सा कौम रावत सा. देह खातेदार दर्ज है एवं इसी जमाबन्दी में जरिए नामान्तरकरण संख्या 771 दिनांक 20.07.2004 से हजारी पि. निम्बा के फौत होने से विरासत से उनके वारिसान के नाम अंकित होना दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम कालिंजर पटवार क्षेत्र कालिंजर की जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 285 में अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त खसरा संख्या 857, 1034/1, 1039/1, 1042, 1045, 1090, 1091, 2767, 2775 में पप्पूसिंह वल्द पनासिंह कालू वल्द रूपा धना वल्द नीम्बा मोतीसिंह मिठुसिंह लक्ष्मणसिंह पि. हजारी भंवरी शांति सीता पुत्रियां हजारी घीसा गोपाल पि. बिरदा भोजा पूना गोमा पि. भोमा 1 हि. प्रभुसिंह उदयसिंह बाबूसिंह पि. धना व कंवरी पुत्री धना व देवा पूना पि. तेजा 1 हि. कौम रावत सा. देह खातेदार दर्ज होना पाया गया है।

दस्तावेजात् बेचाननामों के अवलोकन से पाया कि बेचाननामा दिनांक 23.03.1967 से साबिक खसरा संख्या 768 का 1/4 हिस्से का बेचान रूपा वल्द नीम्बा ने किया है जबकि नीम्बा के हिस्से में जमाबन्दी अनुसार 1/10 हिस्सा ही बनना पाया जाता है जबकि बेचान 1/4 हिस्से का किया गया है जो केवल उसके हक हिस्से तक ही मान्य है। इसी प्रकार बेचाननामा दिनांक 10.11.1971 से पना वल्द रूपा ने अपना 1/8 हिस्सा बेचान किया है जबकि पना वल्द रूपा का 1/20 हिस्सा ही बनता है एवं इसी प्रकार बेचाननामा दिनांक 13.02.1974 से कालू वल्द रूपा ने सम्पूर्ण आराजी का बेचान किया है जबकि कालू वल्द रूपा का 1/20 हिस्सा बनता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि हाल नम्बर 958, 1046, 2287, 2794, 2810 का कोई दस्तावेज राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी वादीगण ने स्वयं ने ही प्रस्तुत नहीं किये है जिससे वर्तमान में उक्त भूमियां का निस्तारण दस्तावेज के अभाव में किया जाना संभव नहीं है तथा शेष खरीदशुदा आराजी का वादीगण स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विवेचन एवं प्रतिवादी स्वयं के इकबालिया बयान के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम कालिंजर की वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी की आराजियात थी जिसमें विभिन्न बेचाननामों के जरिए प्रतिवादीगण के पिता व दादा ने समय समय पर वादीगण के पूर्वजों को बेचान किया जाना पाया गया है एवं अपने हक हिस्से से अधिक बेचान किया जाना भी दर्शित होता है। इसके अतिरिक्त वादीगण ने वादग्रस्त आराजी हाल नम्बर 958, 1046, 2287, 2794, 2810 का कोई दस्तावेज राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी वादीगण ने स्वयं ने ही प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कालिंजर पटवार हल्का कालिंजर के वर्तमान खसरा संख्या 1090 रकबा 00–11–10, 1091 रकबा 00–04–00, 857 रकबा 00–08–10 में कालू वल्द रूपा के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा संख्या 1034/1 रकबा 00–13–10, 1039/1 रकबा 00–11–10, 1042 रकबा 00–11–00, 1045 रकबा 00–06–00 में प्रतिवादी संख्या 1 पप्पूसिंह वल्द पन्नासिंह व कालू वल्द रूपा के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा संख्या 2767 रकबा 00–18–00, 2775 रकबा 00–18–10 में प्रतिवादी संख्या 1 पप्पूसिंह वल्द पन्नासिंह के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तहसीलदार ब्यावर को आदेश दिया

..................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर

जाता है कि उक्त आराजियात में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा कालूसिंह पुत्र रूपा के स्थान पर उक्त आदेशानुसार वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाकर दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के हक हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे तथा पूर्व में प्रतिवादीगण अपने नाम के इन्द्राज का फायदा उठाते हुए अन्यत्र स्थानान्तरण बेचान आदि नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को खुले न्यायालय में कैम्प कोर्ट राजियावास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

(सुख[illegible]ोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर व अजलाम सुखराम खोखर आर. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – राजियावास
राजस्व वाद संख्या 54/2017

1. श्री भोजा सिंह पुत्र श्री भोम सिंह आयु 70 वर्ष
2. श्री गोपा उर्फ गोपाल पुत्र श्री भोमा जी आयु 55 वर्ष
3. श्रीमती भंवरी पत्नि स्व. श्री पूना जी आयु 65 वर्ष
4. श्री नारायण पुत्र स्व. श्री पूना जी आयु 45 वर्ष
5. श्री भगु सिंह पुत्र स्व. श्री पूना जी आयु 42 वर्ष
6. श्री नैना सिंह पुत्र स्व. श्री पूना जी आयु 40 वर्ष
7. श्री गिरधारी सिंह पुत्र स्व. श्री पूना जी आयु 38 वर्ष
8. श्री बबलू सिंह पुत्र स्व. श्री पूना जी आयु 36 वर्ष
9. श्री कैली बाई पुत्र स्व. श्री पूना जी आयु 28 वर्ष

समस्त जाति रावत निवासियान ग्राम कालिंजर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर

......................वादीगण

बनाम

1. श्री अनोप सिंह उर्फ पप्पू पुत्र स्व. श्री पन्ना आयु 50 वर्ष
2. श्रीमती सायरी पत्नि श्री पन्ना आयु 68 वर्ष

जाति रावत निवासियान ग्राम कालिंजर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

3. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय ब्यावर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील ब्यावर

................प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण – श्री सूरज सिंह चौहान
अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1, 2 – –
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.3 व 4 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– **54/2017**
निर्णय/डिक्री दिनांक :– **17.05.2018**

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट राजियावास में पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.05.2018 को सुखराम खोखर (आर. ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट राजियावास में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्रारंभिक डिक्री दी जाती है कि –

मज़में आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कालिंजर पटवार हल्का कालिंजर के वर्तमान खसरा संख्या 1090 रकबा 00–11–10, 1091 रकबा 00–04–00, 857 रकबा 00–08–10 में कालू वल्द रूपा के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा संख्या 1034/1 रकबा 00–13–10, 1039/1 रकबा 00–11–10, 1042 रकबा 00–11–00, 1045 रकबा 00–06–00 में प्रतिवादी संख्या 1 पप्पूसिंह वल्द पन्नासिंह व कालू वल्द रूपा के स्थान

..................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
श्री भोजा सिंह व अन्य बनाम श्री अनोप सिंह उर्फ पप्पू व अन्य
राजस्व वाद संख्या 54 / 2017
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – राजियावास

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा संख्या 2767 रकबा 00–18–00, 2775 रकबा 00–18–10 में प्रतिवादी संख्या 1 पप्पूसिंह वल्द पन्नासिंह के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तहसीलदार ब्यावर को आदेश दिया जाता है कि उक्त आराजियात में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा कालूसिंह पुत्र रूपा के स्थान पर उक्त आदेशानुसार वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाकर दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के हक हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे तथा पूर्व में प्रतिवादीगण अपने नाम के इन्द्राज का फायदा उठाते हुए अन्यत्र स्थानान्तरण बेचान आदि नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 17.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर